

KARUNGAL - 629 157, KANYAKUMARI DIST., TAMIL NADU. (Approved by AICTE Vide: FNo. 06/05/TN/E&T/2007/25 dt. 02-06-2008 & Affiliated to Anna University, Chennai)

Phone : 04651 - 268466, 268655, Fax : 04651 - 268466E-mail : mail@bethlahem.org, Website : www.bethlahem.org

3. UGC Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (Second Amendment)

Regulations, 2013



KARUNGAL - 629 157, KANYAKUMARI DIST., TAMIL NADU. (Approved by AICTE Vide: FNo. 06/05/TN/E&T/2007/25 dt. 02-06-2008 &

Affiliated to Anna University, Chennai)

Phone: 04651 - 268466, 268655, Fax: 04651 - 268466

E-mail: mail@bethlahem.org, Website: www.bethlahem.org

Anti-Ragging Committee

Aim:

To prevent and eliminate all forms of ragging in the institution by creating a safe, respectful, and inclusive environment for students, especially newcomers.

Objectives:

- To ensure strict compliance with anti-ragging regulations as per UGC guidelines and other statutory bodies.
- To spread awareness among students about the ill effects and legal consequences of ragging through regular orientation programs, posters, seminars, and campaigns.
- To monitor and maintain a ragging-free campus by conducting regular surveillance and surprise inspections in hostels, classrooms, canteens, and other student areas.
- 4. To receive and address complaints of ragging promptly and take appropriate disciplinary or legal action against the guilty.
- 5. To provide support and protection to victims of ragging and ensure their physical and psychological well-being.
- 6. To cultivate a culture of mutual respect and dignity among students through mentorship and counseling activities.
- 7. To create a structured grievance redressal mechanism where students can report incidents without fear or hesitation.

Dr. C. EMMY PREMA, M.E., Ph. D

Principal

Bethlahem Institute of Engineering, Karungal, K.K. District - 629 157



BETHLAHEM INSTITUTE OF ENGINEERING

KARUNGAL - 629 157, KANYAKUMARI DIST., TAMIL NADU. (Approved by AICTE Vide: FNo. 06/05/TN/E&T/2007/25 dt. 02-06-2008 &

Affiliated to Anna University, Chennai)

Phone: 04651 - 268466, 268655, Fax: 04651 - 268466 E-mail: mail@bethlahem.org, Website: www.bethlahem.org

Committee Members

Sl. No	Name	Designation	Position
1	Dr. C. Emmy Prema	Principal	Convenor
2	Mr. Moses C Thurai	Assistant Professor / Civil Engineering	Co ordinator
3	Sub Inspector of Police, Karungal Police Station	Sub Inspector of Police, Karungal Police Station	Member
4	Mr. C. Santhosh Kumar	Revenue/ Taluk	VAO
5	Ms. S. Ramani	NGO	Member
6	Dr. X. Roshan Xavier	Assistant Professor / Mechanical Engineering	Member
7	Mr. R. Sahadevan	Representatives of parents	Member
8	Ms.J. Jeorta	Representatives of Students	Member
9	Mr.S. Daveenson Suresh	Representatives of Students	Member

Principal

Bethlahem Institute of Engineering.

Karungal, K.K. District - 629 157



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 101] No. 101] नई दिस्सी, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAITRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15—3/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट—III.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956) (3—1956) की धारा (ग) के उप—अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम सृजन करता है, नामत :—

- (1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे"।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों—I एवं II के अंतर्गत रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा:—

"सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) (माह)....... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त"

उपमन्यु बस् सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

पाद टिप्पणी:-- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2009 में प्रकाशित किया गया था।

अनुलग्नक-I

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

छात्र का आस्वासन	
 मैं	म्य इस
 मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की घारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी ब सम्मिलिति हैं। 	
3. मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पृ तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगि को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।	री गि
4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि	
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा / होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग रूप में माना जा सकता है।	के
(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके पड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साह में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।	
5. मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बि पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्र किसी चाल दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।	ii.ci
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इस भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित कि है—और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।	
घोषित किया गया दिन माह वर्ष	
शपथकर्ता के हस्ता	क्षर
नाम	
सत्यापन	
सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है ह इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।	तथा
सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष	

अनुलग्नक--∏

माता-पिता / अभिभावक द्वारा दी गई	
 श्री/श्रीमती/सुश्री(माता—पिता/अभिमावक का पूरा प्रवेश / पंजीकरण / नामांकन संख्या सहित) के पिता—माता / अभिमावक, जिसव प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। 	है छात्र को (संस्थान का नाम) में इ. पर नियन्त्रण लगाने से संबद राजीयी विकास
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस झात व	ग जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।	पाया / पार्ड जाती है अथवा रैशिंग को बताना हेने
 मैं एतदद्वारा सत्यिनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / दे 	
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे हि।	वेनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया
(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो साँ ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के र	लेप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना जप में माना गया है।
5. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी की घारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी होगा—तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अनुसार होगा।	ਮੀ ਪਦਾ ਆਪਾਈ ਨੇ ਨਦਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਸ਼ਤ ਤੇ ਭਿਤਾ
6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में ह	रहामान किसी भी संस्थान टाय वैशिय की होती
अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।	होने के कारण अथवा उसे पोट्यादित करने हो
पाय के करिए। निष्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करना है	होने के कारण अथवा उसे पोट्यादित करने हो
दीष के कीरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के र्द कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो
पाय के करिए। निष्कासित नहीं हुई है / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करना है	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के र्द कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो
दीष के कीरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के र्द कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो
दीष के कीरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के ट्रं कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो
दीष के कीरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के ट्रिक यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो
दोष के कोरण निष्कासित नहीं हुई हैं हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। घोषित किया गया दिन माह वर्ष	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो सापथकर्ता के हस्ताक्षर नामः
दोष के कोरण निष्कासित नहीं हुई हैं हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। घोषित किया गया दिन माह वर्ष	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के र्ह कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो शपथकर्ता के हस्ताक्षर नामः पताः
दोष के कोरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। घोषित किया गया दिन माह वर्ष दूरभाष	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो शपथकर्ता के हस्ताक्षर नामः पताः । सं./मो. नं.:
दोष के कोरण निष्कासित नहां हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। घोषित किया गया दिन माह वर्ष दूरभाष	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो शपथकर्ता के हस्ताक्षर नामः पताः । सं./मो. नं.:
दोष के कोरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। घोषित किया गया	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो शपथकर्ता के हस्ताक्षर नामः पताः । सं./मो. नं:
दोष के कोरण निष्कासित नहीं हुई हैं / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता है मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। घोषित किया गया	होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो शपथकर्ता के हस्ताक्षर नामः पताः । सं./मो. नं:

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th December, 2013

- No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-
 - (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:
- "Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-

UNDERTAKING BY THE STUDENT

- I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms.___, having been admitted to (name of the institution) ___, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

_	
(5)	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
(6)	I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
Declar	ed thisday of month of year.
	Signature of deponent Name:
	VERIFICATION and that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false thing has been concealed or misstated therein.
Verific	ed at (place) on this the (day) of (month). (year)
	Signature of deponent Name:
	ANNEXURE-II
	UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN
father/ admitt Raggii	fr/Mrs/Ms
(2)	I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
(3)	I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
(4)	I hereby solemnly aver and undertake that
	(a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.(b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
(5)	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

1431 GN14-2

		_	ı
-1	r		١
		ı	,

Declared this	day of	month of	year	r.	
					Signature of deponent Name: Address:
			•		
			VERIFICATION		Telephone/Mobile No.:
erified that the cond nothing has b	ontents of this		e to the best of my l	knowledge and no	part of the undertaking is false
erified that the cond nothing has be erified at <u>(Place</u>	een concealed o	undertaking are true or misstated therein	e to the best of my l	knowledge and no	part of the undertaking is false
nd nothing has b	een concealed o	undertaking are true or misstated therein	e to the best of my I	knowledge and no	part of the undertaking is false
nd nothing has b	een concealed o	undertaking are true or misstated therein	e to the best of my I	knowledge and no	Signature of depone Name:
nd nothing has b	een concealed o	undertaking are true or misstated therein	e to the best of my I	knowledge and no	Signature of depone
nd nothing has b	een concealed o	undertaking are true or misstated therein	e to the best of my I	knowledge and no	Signature of depone
nd nothing has b	een concealed o	undertaking are true or misstated therein	e to the best of my I	knowledge and no	Signature of depone